पंचायत निगरानी संख्या : 30/2025
उनवान : बाबुसिंह बनाम सकु बाई व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 30/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/40

प्रार्थी :–

1. बाबुसिंह पुत्र जसराज जाति राजपुरोहित निवासी सेसली तहसील बाली जिला पाली राज.
2. रमेशसिंह पुत्र श्री जसराज जाति राजपुरोहित निवासी सेसलीं तहसील बाली जिला पाली राज.
3. श्रीमती भंवरी बाई पत्नी मोहनसिंह पुत्र जसराज जाति राजपुरोहित निवासी माताजी का बाडा तहसील बाली जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. श्रीमती सकू बाई जसराज जाति राजपुरोहित निवासी सेसली तहसील बाली जिला पाली राज.
2. दिनेशसिंह पुत्र श्री जसराज जाति राजपुरोहित निवासी सेसली तहसील बाली जिला पाली राज.
3. श्रीमती वरदु बाई पत्नी प्रभुसिंह जाति राजपुरोहित निवासी गिराली तहसील देसूरी जिला पाली राज.
4. श्रीमती छगन पत्नी श्री दलपतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली राज.
5. सरपंच ग्राम पंचायत सेसली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत सेसली द्वारा जारी जैर आलोच्य पट्टा संख्या 49 निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणसिंह जोशी।
2. अप्रार्थी संख्या 01,02,03 एवं 04 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृतलाल परिहार।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 29.08.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत सेसली द्वारा जारी आलोच्य पट्टा संख्या 49 को निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 30/2025
उनवान : बाबुसिंह बनाम सकु बाई व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता संख्या 01 लगाय 04 स्व. जसराज पुत्र श्री रावतींगजी जाति राजपुरोहित निवासी सेसली तहसील बाली जिलापाली राज के कायम मुकाम एवं उत्तराधिकारी है तथा स्व. जसराजजी का देहान्त दिनांक 13.07.2008 को हो चुका है, तथा अप्रार्थी संख्या 01 सकूबाई उनकी विधवा पत्नी है जबकि निगरानीकर्ता संख्या 01 एव 02 तथा अप्रार्थी संख्या 02 दिनेशसिंह उनके पुत्रगण है तथा प्रार्थी संख्या 03 एवं अप्रार्थी संख्या 03 व चार उनकी पुत्रिया है जो उनके ससूराल में निवासरत है।

यह कि, स्व.जसराज ने दिनांक 23.11.1995 को खुनाराम चौधरी निवासी सेसली से निम्न पडौस की सम्पति का प्लॉट मय कच्चा मकान अदला बदली में क्रय किया था तथा उसके बदले में जसराजजी ने स्वयं का प्लॉट दते हुए उपर से रुपये 16000/– अक्षरे सोलह हजार मात्र रुपये भी अदा किये थे तथा उक्त प्लॉट पर प्रार्थीगण ने अपनी कमाई व्यय कर मकान का निर्माण किया है तथा जिससे वर्तमान में प्रार्थी संख्या 02 परिवार सहित निवासरत है एवं पडौस निम्नानुसार है:–

उत्तर में:– भूरजी सरतींगजी

दक्षिण में:– आम रास्ता

पूर्व में:– जैन पेढी

पश्चिम में:– आम रास्ता

यह है कि उपरोक्त प्राप्त प्लॉट व बनाये गये मकान जो नाप उत्तर दक्षिण–पश्चिम की तरफ है। जबकि पूर्व में 21 फीट है। पूर्व पश्चिम उत्तर में 53 फीट व दक्षिण 53 कुल लगभग क्षेत्रफल 830 वर्गफीट है। तथा उक्त सम्पति का पट्टा नहीं बना हुआ था। स्व. जसराजी ने भी उक्त सम्पति को सभी के सम्मिलित स्वामित्व में ही रखा।

यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 दिनेशसिंह जसराजजी के सभी उत्तराधिकारियों में सबसे छोटा है तथा उक्त प्लॉट को क्रय करने के समय उसकी आयु मात्र 12 साल की थी तथा प्रार्थी संख्या 01 व 02 बडे होने से कमाने हेतु बाहर महाराष्ट व गुजरात में गये तथा उन्होंने अपनी कमाई की राशि व्यय कर न केवल परिवार के लिये मकानात बनाये व अपनी बहिनों एवं अल्पवयस्क भाई दिनेशसिंह को पढाया, लिखाया तथा उसके पश्चात उसका विवाह भी कराया।

यह कि अप्रार्थी संख्या 02 दिनेशसिंह की नियत शुरु से ही उक्त सम्पति को लेकर बदनियति पूर्वक रही है तथा उसने प्रार्थी की अनुपस्थिति का दुरुपयोग कर उपरोक्त सम्पति को हड़पने हेतु ग्राम पंचायत सेसली से मिली भगत कर अवैध रुप से स्वयं के नाम पट्टा बनाने का प्रयास किया। प्रत्यर्थी की नाजायज कार्यवाही की जानकारी होने पर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थी संख्या 01 बाबुसिंह ने दिनांक 26.11.2021 को आपत्ति प्रस्तुतकी जिससे अप्रार्थी अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका।

यह कि, विवादित सम्पति का मकान ग्राम सेसली में ग्राम की मुख्य आबादी में होकर जैन मन्दिर के समीप होने से उक्त समुदाय हमेशा से ही उक्त सम्पति को हथियाने की रही है। अप्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलेक्ट
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 30/2025
उनवान : बाबुसिंह बनाम सकु बाई व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

संख्या 01 लगाय 04 ने लालच में आकर उक्त सम्पति का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थी संख्या एक के नाम आवेदन किया तथा ग्राम पंचायत सेसली में सम्पूर्ण तथ्यों की विधि पूर्ण तरीके से जांच किये बगैर मिसल 52 दिनांक 27.12.2022 कायम कर जल्दबाजी में पट्टा क्रमांक 49 बुक संख्या 56 दिनांक 15.05.2023 जारी कर दिया।

यह कि, यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ग्राम पंचायत सेसली में इसी सम्पति का पट्टा जारी करने हेतु अन्य मिसल संख्या 29 दिनांक 27.12.2022 को ही कायम किया गया था। उक्त पत्रावली में निर्णय करने के स्थान पर अलग पत्रावली कर पट्टा जारी किया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत सेसली के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की बदनियति रही है तथा उन्होनें नाजायज प्रलोभन में याचीगण के हितों के प्रतिकूल जाते हुए धोखाधडी एवं कपट पूर्वक पट्टा जारी किया है जो पट्टा सरासर अवैध है तथा इस पट्टा से याचीगण के अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह पुनरीक्षण याचिका निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. यह है कि उपरोक्त पुनरीक्षण पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा तथ्यों एवं विधि की भूल की है जिससे उपरोक्त पट्टा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि स्व. जसराजजी के याचीगण सहित प्रत्यर्थी संख्या 01 लगाय चार समान रुप से प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीगण है तथा ग्राम पंचायत द्वारा तथ्यों की जानकारी होते हुये भी धोखाधडी एवं बदनियति केवलमात्र प्रत्यर्थी संख्या एक के हक में पट्टा जारी किया है ऐसी स्थिति में उक्त पट्टा की विधि मान्यता शून्य है।
3. यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा इसी पट्टे के सम्बन्ध में दो अलग अलग मिसल कायम कर द्वितीय मिसल संख्या 52 के अनुसरण में पट्टा जारी किया है जबकि मिसल संख्या 29 का परिणाम अपने आदेश में उल्लेख नहीं किया है तथा उक्त मिसलो का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि दोनों मिसल एक ही दिनांक 27.12.2022 को कायम करना उल्लेखित किया गया है। जो कि संभव नही है तथा उक्त मिसलों यानि 29 एवं 52 के मध्य अन्य मिसले भी संस्थापित की गयी है। उनकी दिनांक अलग है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जालसाजी, धोखाधडी एवं कपटपूर्वक पट्टा जारी किया गया है। जो कि एक आपराधिक कृत्य है। जिसके लिये याचीगण अलग से कार्यवाही करेगें।
4. यह है कि याची संख्या एक ने पूर्व में प्रत्यर्थी संख्या दो दिनेशसिंह द्वारा ग्राम पंचायत से मिलकर अवैध तरीके से पट्टा प्राप्त करने के प्रयास को विफल करने के उदेश्य से आपत्ति प्रस्तुत की थी। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के उक्त सम्पति को लेकर विवाद की जानकारी थी। तथा प्रत्यर्थी भी गलत एवं अवैधानिक रुप से कार्यवाही कर पट्टा जारी किया है जो याचीगण के अधिकारों की सीमा तक शून्य है जिससे उक्त पुनरीक्षणाधीन पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा संस्थापित पत्रावलियों 29/27.12.2022 एवं 52/27.11.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जालसाजी एवं धोखाधडी से पट्टा जारी किया गया है। ऐसे में उक्त पट्टे की विधि मान्यता शुन्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 30 / 2025
उनवान : बाबुसिंह बनाम सकु बाई व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

6. यह है कि पट्टा हेतु जारी पत्रावली में उल्लेखित सम्पति के पडौस के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा जारी किये इश्तिहार में सम्पति के पूर्व व उत्तर में जैन पेढी दर्ज किया गया है जबकि सम्पति के उत्तर में भूरजी का बना हुआ है जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने में न तो सम्पति के वास्तविक हकदारों का पता किया गया तथा न ही सम्पति की वस्तुस्थिति की भी जांच ही की गई है। जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण को बदनियति से याचीगण को क्षति करने एवं उनके नाजायज रुप से हस्तगत करने की गरज से नाजायज रुप से षडयंन्त्र कर पट्टा जारी किया है जो सरासर गलत एवं अवैध है।

7. यह है कि वाद हेतुक बमुकाम ग्राम सेसली तहसील बाली ने दिनांक 20.04.2022 को पट्टा जारी करने से एवं दिनांक 13.01.2025 को पट्टा जारी करने की जानकारी होने पंचायत के समक्ष मिसल आवेदन करने एवं दिनांक 20.01.2025 को मिसल की पत्रावली प्राप्त होने से याचीगण की जानकारी हुई है। जो वाद कारण अनवरत जारी है। जिससे अन्दर अवधिकाल प्रस्तुत है।

अतः याचीगण द्वारा पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि याचीगण की याचिका स्वीकार फरमाकर पुनरीक्षणाधीन पट्टा संख्या 49 निरस्त करने के आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अप्रार्थी संख्या 01,02,03 व 04 ने निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया किः–

1. पद संख्या एक याचिका में वर्णित कथन सही होने से स्वीकार है।
2. पद संख्या एक याचिका में वर्णित विवरण पडौस बीच का मकान ग्राम सेसली में स्थित होने के कथन सही होने से स्वीकार है, शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है।
3. पद संख्या तीन याचिका में वर्णित विवरण पडौस बीच का मकान ग्राम सेसली में स्थित है जो मकान प्रत्यर्थी संख्या एक श्रीमती सकुबाई के पिता समरथा जी निवासी सेसली का कब्जाशुदा था जो प्रत्यर्थी संख्या एक के परिवारजनों के भाई बहिनों के बंट में प्रत्यर्थी संख्या एक सकुबाई को प्राप्त हुआ जिस पर अप्रार्थी संख्या एक सकुबाई का अनन्य कब्जा रहा है। उक्त मकान से याचिका में उल्लेखित तथाकथित खुमाराम का कोई सम्बन्ध नही रहा है। जिस मकान का पट्टा ग्राम पंचायत सेसली ने प्रत्यर्थी संख्या एक सकुबाई के हक में विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया है।
4. पद संख्या चार याचिका में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। उक्त पद में उल्लेखित कथनों का विवादित मकान से कोई सरोकार नहीं है।
5. पद संख्या पांच याचिका में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है।
6. पद संख्या छः याचिका में वर्णित विवरण पडौस बीच का विवादित मकान बाबत् ग्राम पंचायत सेसली द्वारा प्रत्यर्थी संख्या एक के आवेदन पर मिसल संख्या 52 दिनांक 27.12.2022 कायम करना एवं विधिनुसार पट्टा क्रमांक 49 बुक संख्या 56 के जरिये दिनांक 15.05.2023 को प्रत्यर्थी संख्या एक सकुबाई के हक में पट्टा जारी करने के कथन सही होने से स्वीकार है, शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है।
7. पद संख्या सात में याचिका मे वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 30/2025
उनवान : बाबुसिंह बनाम सकु बाई व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

अप्रार्थीपक्ष ने याचिका में उल्लेखित आधारों का निम्नानुसार जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. याचिका के आधार के पद संख्या एक में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। उक्त पद में तथाकथित आदेशात्मक विधिक प्रावधानों के उल्लघंन का अंकन ही किया गया है, मात्र औपचारिकता के बतौर कथन उल्लेखित किये है, जिससे भी याचिका काबिल खारिज है।
2. याचिका के आधार के पद संख्या दो में वर्णित कथनों प्रश्नगत पट्टा से सम्बन्धित मकान का स्व. जसराजजी से किसी प्रकार को सम्बन्ध नहीं रहा है, विवादित मकान पूर्व में प्रत्यर्थी संख्या एक सकुबाई के पिता स्व. समरथाजी निवासी सेसली का रहा है।
3. याचिका के आधार के पद संख्या तीन में वर्णित कथनो का जवाब यह है कि मिसल संख्या 52 के अनुसरण में पट्टा प्रत्यर्थी संख्या एक सकुबाई के हक में जारी किया गया है। मिसल संख्या 29 की जानकारी प्रत्यर्थी पक्ष को नही है।
4. याचिका के आधार के पद संख्या चार में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है।
5. याचिका के आधार के पद संख्या पांच में वर्णित कथन का जवाब है कि विवादित मकान के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी संख्या एक श्रीमती सकुबाई के अलावा याचिका के किसी अन्य पक्षकार को हक अधिकार नहीं थे। प्रत्यर्थी संख्या एक श्रीमती सकुबाई के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर ग्राम पंचायत सेसली द्वारा विधि अनुसार मिसल कायम कर सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है।
6. याचिका के आधार के पद संख्या छः में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। निगरानी के जरिये जैर आलोच्य पट्टा की कार्यवाही के दौरान विवादित मकान के उत्तर में स्थित रहे भूरजी के मकान का हस्तान्तरण जैन पेढी के हक मे हो जाने से एवं जैन पेढी का कब्जा होने से ईश्तिहार में जैन पेढी का पड़ौस दर्ज किया गया है।
7. याचिका के आधार के पद संख्या सात में वर्णित कथन का जवाब है कि निगरानी के जरिये जैर आलोच्य पट्टा की जानकारी याचिकाकर्ताओं को शुरु से रही है एवं विवादित मकान जो प्रत्यर्थी संख्या एक श्रीमती सकुबाई के पिता समरथाजी पुरोहित निवासी सेसली का कब्जाशुदा होने से याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या एक के सकुबाई के जीवनकाल में याचिका प्रस्तुत करने हेतु कोई आधार पैदा नहीं होता है। याचिकाकर्ता की उक्त निगरानी अवधि बाधित होने से भी काबिल खारिज है।
8. याचिका के आधार के पद संख्या आठ में वर्णित कथन विवादित मकान ग्राम सेसली में स्थित होने एवं जैर आलोच्य निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत सेसली द्वारा जारी किये जाने के कथन सही होने से स्वीकार है। शेष कथन कानूनी होने से श्रीमान न्यायालय के गौर के है।
9. याचिका के आधार के पद संख्या नौ में वर्णित कथन कानूनी है जो न्यायालय के गौर का है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 30/2025
उनवान : बाबुसिंह बनाम साकु बाई व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

10. याचिका के आधार के पद संख्या दस में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। हस्तगत निगरानी के जरिये प्रश्नगत पट्टा के आवेदन एवं ग्राम पंचायत द्वारा की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी याचिकाकर्ता को शुरु से रही है। इस प्रकार याचिकाकर्ता की उक्त निगरानी काबिल खारिज है।

अप्रार्थीपक्ष ने विशेष कथन कर निवेदन किया कि:-

1. यह है कि प्रत्यर्थी संख्या एक श्रीमती सकुबाई पुत्री स्व. समरथाजी धर्मपत्नी स्व.जसराजसी का पीहर ग्राम सेसली में ही स्थित है। निगरानी के जरिये प्रश्नगत किये गये पट्टा से सम्बन्धित मकान पूर्व में प्रत्यर्थी संख्या एक श्रीमती सकुबाई के पिता स्व. समरथाजी जाति पुरोहित निवासी सेसली का कब्जाशुदा रहा है। उक्त मकान प्रत्यर्थी संख्या एक को स्वयं के भाई बहिनों के बंट कब्जें के जरिये प्राप्त हुआ है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या एक श्रीमती सकुबाई के जीवनकाल में याचिकाकर्ताओं को विवादित मकान के पट्टा को चुनौति देने का लोकस स्टेण्डाई नही है यानि की याचिकाकर्ता विवादित मकान के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सेसली के द्वारा जारी पट्टा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विधिक तौर से व्यथित पक्षकार नहीं है।
2. यह कि याचिकाकर्ताओं ने पट्टा से सम्बन्धित मकान के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सेसली द्वारा प्रत्यर्थी संख्या एक के द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पर मिसल संख्या 52 कायम की जाकर विधिनुसार पट्टा क्रमांक 49 बुक सख्या 56 के जरिये दिनांक 15.05.2023 को प्रत्यर्थी संख्या एक सकुबाई के हक में पट्टा जारी किया गया। जो पट्टा दिनांक 29.05.2023 को उप पंजीयक बाली द्वारा पंजीबद्ध किया गया तथा पंजीबद्ध पट्टा निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय ही सक्षम होने से याचिकाकर्ताओं की उक्त निगरानी काबिल खारिज है।
3. यह है कि याचिकाकर्ताओं की उक्त निगरानी से सम्बन्धित पट्टा को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं ने माननीय अपर जिला न्यायालय बाली में सिविल वाद संख्या 04/2025 बअनवान बाबूसिंह वगैरा बनाम सकुबाई वगैरा वाद बाबत निरस्त करने विक्रय विलेख दिनांक 16.08.2024, बंटवाडा एवं घोषणा अधिमानी अधिकार मिथ्या कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो नियमित वाद लम्बित है। इस प्रकार उक्त सक्षिप्त विचारण की उक्त निगरानी याचिका को खारिज किया जाना न्यायोचित है।
4. यह कि याचिकाकर्ता को जैर निगरानी आलोच्य पट्ट से सम्बन्धित मकान के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हक निहित नहीं होने याचिकाकर्ता विधिक तौर से व्यथित पक्षकार नही होने से याचिका को खारिज किया जाना न्यायोचित है।
5. यह है कि उक्त निगरानी याचिका आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण काबिल खारिज है।
6. यह कि निगरानी याचिका अवधि बाधित होने से काबिल खारिज है।

अतः निगरानी याचिका का जवाब मय विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी याचिका को सव्यय प्रत्यर्थी पक्ष खारिज फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 30/2025
उनवान : बाबुसिंह बनाम सकु बाई व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

जैर निगरानी आलोच्य पट्टा संख्या 49 से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया तथा प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्त बहस निवेदन किया की आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धि भूखण्ड स्वर्गीय श्री जसराज पुरोहित द्वारा वर्ष 1995 में श्री खुमाराम से भूखण्डों की अदला–बदली में लिया गया था, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अकेले स्वर्गीय जसराज जी की पत्नी के पक्ष में आलोच्य पट्टा विलेख जारी कर विधिक भूल कारित की गई। उक्त भूखण्ड में स्वर्गीय जसराज जी की सन्तानों का भी हक हकूक निहित है, किन्तु अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत के साथ दुरभिसंधि करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के हक में आलोच्य पट्टा विलेख निष्पादित करवाया गया। यह भी, कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा पूर्व में भी इस भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा कायम मिसल संख्या 29 में प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। उक्त आपत्ति को अनिर्णीत रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा नवीन मिसल संख्या 52 कायम कर आलोच्य पट्टा विलेख सम्बन्धि अवैध कार्यवाही प्रभाव में लाई गई, जो निरस्त योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने यह भी ज़ाहिर किया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा भी इस पट्टे के सम्बन्ध में जाँच करवाकर इसकी वैधता पर प्रश्न उठाए है, अतः आलोच्य पट्टा संख्या 49 को निरस्त फरमावें।

उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निवेदन किया कि आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूमि पट्टाधारी श्रीमती सकुबाई को उनके पीहर से भाई बंट में प्राप्त हुई थी, जिस पर उनकी संतानों का कोई हक हकूक नहीं है। यह भी, कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प/प्रस्ताव इत्यादि को चुनौति देने के स्थान पर पंजीबद्ध पट्टा विलेख को निरस्त करने की मांग की है, जो याचिका विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा पट्टे की प्रक्रिया को निगरानी में चुनौति नहीं दी गई है बल्कि वे स्व. जसराज जी के वारिसों के रुप में स्वयं के अधिकारों की पुर्नस्थापना चाहते है एवं इस हेतु सिविल न्यायालय ही सक्षम है। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह भी जाहिर किया कि प्रार्थीगण द्वारा इसी भूखण्ड के सम्बन्ध में सिविल वाद भी प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बाली में प्रकरण संख्या 04/2025 के रुप में विचाराधीन है एवं नियमित वाद के विचाराधीन रहते संक्षिप्त विचारण की निगरानी याचिका संधारणीय नहीं है। साथ ही, हस्तगत निगरानी याचिका पक्षकारों के कुसंयोजन से भी ग्रस्त है, जिसमें आलोच्य पट्टा विलेख की भूमि के क्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये:–

1. 1406 Manoharlal Vs. D.C. Barmer RJT 2015 (2)
2. 1412 Sohanlal Vs. G.P. Doongla 2007 (3) DNJ

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 30/2025
उनवान : बाबुसिंह बनाम सकु बाई व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका के माध्यम से ग्राम पंचायत सेसली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक श्रीमती सकुबाई के पक्ष में निष्पादित आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 49 दिनांक 15.05.2023 को प्रमुखतः इस आधार पर चुनौति दी गई है कि आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड प्रार्थीगण के पिता एवं अंप्रार्थी संख्या एक के पति स्वर्गीय जसराजजी द्वारा श्री खुमाराम से अदला–बदली में क्रय किया गया था एवं इस आधार पर विवादग्रस्त भूखण्ड में स्वर्गीय जसराज जी की सन्तानों का भी हक हकूक निहित है, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के बहकावें में स्वर्गीय जसराज जी की पत्नी अकेले के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित कर वैधानिक त्रुटि कारित की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा इसका खण्डन करते हुए जवाबपत्र में यह अंकित किया कि विवादग्रस्त भूखण्ड पट्टाधारी श्रीमती सकुबाई के पीहर पक्ष से भाई बंट में प्राप्त हुआ था और उसकी सन्तानों का इस भूखण्ड में कोई वैधानिक हक हकूक नहीं होने से आलोच्य पट्टे के विरुद्ध प्रार्थीगण 'हितबद्ध व्यक्ति' अथवा Locus Standi नहीं है। अप्रार्थीगण ने जवाबपत्र के पैराग्राफ संख्या तीन (विशेष कथन) में यह भी जाहिर किया कि प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बाली में सिविल वाद प्रस्तुत किया है, जो प्रकरण संख्या 04/2025 बउनवान बाबूसिंह बनाम सकुबाई वगैरह के रुप में आदिनाक लम्बित है तथा प्रमाणस्वरुप उक्त सिविल वाद प्रकरण संख्या 04/2025 की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत की।

उक्त प्रकरण संख्या 04/2025 के अवलोकन से यह ज़ाहिर होता है कि प्रार्थीगण एक लगायत व्यक्ति द्वारा एक वाद बाबत् निरस्तीकरण विक्रय विलेख दिनांक 16.08.2021, बंटवाडा तथा अधिमानी अधिकारों (Preferential Right) की घोषणा न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश बाली में प्रस्तुत किया गया, जिसमें अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत चार के साथ साथ श्री बाबूलाल जैन प्रतिवादीगण के रुप में संयोजित है। उक्त सिविल वाद प्रकरण संख्या 4/2025 के वादपत्र के सरसरी अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन पंचायत निगरानी याचिका तथा उक्त सिविल वाद में विवाद की विषयवस्तु अर्थात् विवादग्रस्त भूखण्ड समान है तथा पंचायत निगरानी याचिका के समस्त पक्षकार उक्त सिविल वाद में भी पक्षकार के रुप में संयोजित है। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा उक्त सिविल वाद में विवादग्रस्त भूखण्ड के सम्बन्ध में अधिमानी अधिकारों (Preferential Right) की घोषणा तथा अपने हक हकूक तक बंटवाडा करने की इस्तदुआ चाहते हुए विक्रय विलेख दिनांक 16.08.2024 को निरस्त करने का निवेदन किया है। साथ ही, वादपत्र के पैराग्राफ संख्या आठ एवं नौ में आलोच्य पट्टे का भी अंकन करते हुए इसे अवैध तथा वादीगण के अधिकारों के प्रति शून्य बताया है। न्यायालय हाजा में विचाराधीन हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका में जहाँ प्रार्थीगण ने स्व. जसराज जी के तथाकथित क्रयशुदा भूखण्ड में उनकी संतान होने के नाते निहित स्वामित्वाधिकार के आधार पर आलोच्य पट्टा विलेख को चुनौति दी है, वहीं इसी समान आधार पर न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश बाली में वाद प्र.स. 04/2025 प्रस्तुत कर बंटवाडा तथा अधिमानी अधिकारों की घोषणा चाही है, इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा समान आराजी के सम्बन्ध में पृथक–पृथक न्यायालयों में समानान्तर कार्यवाहियों प्रस्तावित की गई है तथा न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि इस भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश बाली में जब नियमित वाद लम्बित है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 30/2025
उनवान : बाबुसिंह बनाम सकु बाई व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तो समान आराजी तथा समान आधारों पर न्यायालय हाजा संक्षिप्त विचारण की यह निगरानी याचिका संधारणीय नहीं है। प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के अधिकारों का उक्त नियमित वाद प्रकरण संख्या 04/2025 में सिविल न्यायालय द्वारा निर्धारण किये जाने से पूर्व उन्हीं तथाकथित अधिकारों के आधार पर आलोच्य पट्टा विलेख की वैधता पर इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय अथवा निष्कर्षात्मक टिप्पणी दिया जाना न तो उचित है और न ही न्यायिक पदसोपान व्यवस्था के अनुकूल है।

सिविल न्यायालय में प्रस्तुत उक्त वादपत्र में प्रार्थीगण ने प्रश्नगत भूखण्ड का दिनांक 16.08.2024 को बेचान होने का अंकन करते हुए क्रेता श्री बाबुलाल जैन को प्रतिवादी संख्या पांच के रुप में संयोजित किया है, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत हस्तगत निगरानी में न तो उक्त बेचान को उजागर किया और न ही क्रेता को आवश्यक पक्षकार के रुप में संयोजित किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा आवश्यक तथ्यों को छिपाते हुए निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है तथा समान विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पृथक पृथक न्यायालयों में समानान्तरण न्यायिक कार्यवाहियाँ भी प्रस्तावित की गई है।

संक्षेप में आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूखण्ड का समान आधारों एवं समान पक्षकारों के मध्य ही सिविल न्यायालय में नियमित वाद लम्बित होने के कारण हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका संधारणीय नहीं है। अतः आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 49 की वैधानिकता का गुणावगुण आधार पर परीक्षण किए बिना ही निगरानी याचिका खारिज की जाती है।

सिविल वाद प्रकरण संख्या 4/2025 के अन्तिम निस्तारण उपरान्त पक्षकार माफिक निर्णय पुनः निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगें।

निर्णय आज दिनांक **29.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड पुनः लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)